पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1614 /अका./का.प/2023 रायपुर, दिनांक 22/03/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'चौहत्तरवीं' बैठक बुधवार दिनांक 22.03.2023 को अपराह्न 03.30 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

डॉ. केशरी लाल वर्मा, कुलपति –अध्यक्ष

1.	डॉ. व्यास दुबे	– सदस्य	7.	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	– सदस्य
2.	डॉ. के.एन. शर्मा	– सदस्य	8.	डॉ. एम.एल. नायक	– सदस्य
3.	डॉ. ममता शर्मा	– सदस्य	9.	श्री सोनाऊ राम नेताम	– सदस्य
4.	डॉ. समीर ठाकुर	– सदस्य	10.	श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
5.	डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स	– सदस्य	11.	श्री डमरूधर पुजारी	– सदस्य
6.	श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	– सदस्य	12.	श्री देवेंद्र बहादुर सिंह	– सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, प्रभारी कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.03.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.03.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

3. वित्तीय वर्ष 2023–24 का प्रस्तावित आय–व्यय के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः वित्तीय वर्ष 2021–22 वास्तविक आय–व्यय, वर्ष 2022–23 पुनरीक्षित आय–व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तावित आय–व्यय का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 14.03.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

2. विश्वविद्यालय विद्या–परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.03.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. डॉ. एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी (से.नि.) को संविदा पर रखे जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः डॉ. एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी (से.नि.) को संविदा पर रखे जाने की सहमति प्रदान करते हुए शासन को पत्र प्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

4. रसायन अध्ययनशाला के लिए फर्म, Sai Info Services, NO.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) से 15 नग कंप्यूटर, यूपीएस एवं 01 नग प्रिंटर क्रय पश्चात् फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक रु. 11,96,216=00 (रुपए ग्यारह लाख छियानबे हजार दो सौ सोलह मात्र) के भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

5. कंप्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला के लिए फर्म, Sai Info Services, NO.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) से 08 नग कंप्यूटर एवं 08 नग यूपीएस क्रय पश्चात् फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक रु. 8,10,776=00 (रुपए आठ लाख दस हजार सात सौ छिहत्तर मात्र) के भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. श्री परदेशी राम भोई, वरिष्ठ अधीक्षक अक्षय ऊर्जा, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,30,674.00 (रुपए पाँच लाख तीस हजार छः सौ चौहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 22.02.2023 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. श्री जानकी प्रसाद शर्मा, बर्खास्त कर्मचारी के प्रकरण पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अद्यतन की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2023 के परिप्रेक्ष्य में समस्त सदस्यों को संक्षेपिका प्रेषित की गई थी, जिस पर चर्चा की गई। माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के द्वारा दिए गए पत्र में उल्लेखित प्रश्नों का उत्तर दिए जाने एवं आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में रखे जाने तथा पत्र की छायाप्रति समस्त सदस्यों को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

उपाधि विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

1. डॉ. विनीत ओझा को दीक्षांत समारोह के पूर्व Post Doctoral Fellowship "overseas Youqing postdoc program" में उपाधि प्रस्तुत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपाधि प्रमाण–पत्र जारी किए जाने हेतु उनके आवेदन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः डॉ. विनीत ओझा की उपाधि प्रमाण–पत्र छात्रहित को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया।

फार्मेसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. फार्मेसी संस्थान के यू.जी.सी. से रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए राशि रु. 12,10,194.00 (रुपए बारह लाख दस हजार एक सौ चौरानबे मात्र) के कार्योत्तर भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

3. माननीय सदस्य डॉ. एम.एल. नायक के द्वारा बैठक में प्रेषित पत्र पर विचार करने के संबंध में।

निर्णयः पत्र में उल्लेखित प्रस्ताव के साथ शासन को सातवें वेतनमान में पेंशन का उल्लेख करते हुए पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

4. संशोधित अध्यादेश क्रमांक 189 B.Ed. Special Education (ID) in Semester System (Bachelor of Education) एवं नवीन अध्यादेश क्रमांक 198 B.Ed. Special Education (LD) की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

निर्णयः संशोधित अध्यादेश क्रमांक 189 B.Ed. Special Education (ID) in Semester System (Bachelor of Education) एवं नवीन अध्यादेश क्रमांक 198 B.Ed. Special Education (LD) का विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2023 में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

प्रभारी कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 1615 /अका./का.प/2023 **रायपुर, दिनांक 22 /03/2023**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप–कुलसचिव (अका.)